बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520950, फैक्स+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

हमारा बिहार

# कार्यालय आदेश

विभागीय अधिसूचना संख्या–2280 दिनांक 19.05.2014 के आलोक में आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत लिपिक संवर्ग के कर्मियों को अंतिम रूप से विभागीय पत्रांक–39 (मु0) दिनांक 23.01.2016 एवं पत्रांक–44 (मु0) दिनांक 26.01.2016 से जिला आवंटित किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्ध 36 कर्मियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। उक्त आपत्तिकर्ताओं में से 14 कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 10 कर्मियों के संबंध में पूर्व में ही निर्णय लिया गया है, जबकि 04 कर्मी के मामले अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

शेष 22 कर्मियों के आवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त कारण सहित आदेश पारित किया गया, जिसमें 20 कर्मियों के अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया एवं 02 (दो) कर्मियों का अभ्यावेदन स्वीकृत करते हुए पूर्व जिला आवंटन में संशोधन का आदेश पारित किया गया, जो निम्नरूपेण है :–

| क्र0सं0 | कर्मी का नाम / पदनाम / पदस्थापन | पत्रांक 39 / मु0 दिनांक 23.01.2016 में अंकित क्रमांक | गृह जिला | पत्रांक 39 / मु0 दिनांक 23.01.2016 द्वारा आवंटित जिला | वर्तमान आदेश द्वारा आवंटित जिला |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री रविन्द्र प्रसाद, लिपिक, बा0वि0परि0कार्या0, तरैया, सारण | 70 | पटना | सारण | पटना |
| 2 | श्री अर्जुन कुमार चौधरी, लिपिक, जि0प्रो0कार्या0, खगड़िया | 491 | बेगुसराय | खगड़िया | बेगुसराय |

2. यह आदेश तत्कालिक रूप से प्रभावी होगा।
3. उक्त आदेश पर प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

निदेशक
आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांक:–ICDS/10050/23-2016 ......2535...... दिनांक ......26/07/2017
प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:–संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:–प्रभारी डाटा सेन्टर, आई0सी0डी0एस0 को संलग्न सूची को निदेशालय के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:–संबंधित जिला पदाधिकारी / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:–संबंधित कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
आई.सी.डी.एस.